**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1184**

**दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**सरकारी फिजियोथेरेपी क्लीनिक**

**1184. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**

**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यशील सरकारी फिजियोथेरेपी क्लीनिकों की संख्या कितनी है और इन अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(ख) देश के विभिन्न केंद्र सरकार के अस्पतालों में सामान्य और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के विभिन्न ग्रेड के फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार फिजियोथेरेपिस्ट के पदों को भरने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में भारी भीड़ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने फिजियोथेरेपी सेंटर चलाने के लिए कोई मानदंड और योग्यता तय की है;

(ङ) यदि हां, तो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक चलाने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश के सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (च):- स्वास्थ्य राज्य का विषय है। सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास/नीति बनाना राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारी है। इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा

आंकी गई आवश्यकता के अनुसार मरीजों को योग्य फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दिल्ली में कुछ केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है: -

| पद का नाम: | फिजियोथेरेपिस्ट के स्वीकृत पदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सफदरजंग अस्पताल | डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली |
| मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट | 01 | 01 | 00 | 3 |
| उप/अधीक्षक. फ़िज़ियोथेरेपिस्ट | 03 | 01 | 01 | 7 |
| वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट | 08 | 03 | 01 | 7 |
| फ़िज़ियोथेरेपिस्ट/कनिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट | 28 | 09 | 03 | 100 |

इन सभी पदों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य और एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है और फिजियोथेरेपी कैडर में रिक्तियां पद के भर्ती नियमों (आरआर) के अनुसार नियमित रूप से भरी जाती हैं।

*****